



फाइल सं० 6/11/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 08 जून, 2011

वि-यः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 30-05-2011 को अपराह्न 2.30 बजे आयोजित 15वीं बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)

भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू) एवं एल.ओ.(एपीसीआर)
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा./सी.सैल)

(एस.एन. मीणा)

भारत सरकार के अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 15वीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30-05-2011 को अपराह्न 2.30 बजे उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-1 पर है।

प्रारम्भ में, श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य ने सदस्यों/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को लैपटॉप्स प्रदान करने के लिए अध्यक्ष का धन्यवाद किया। उसके बाद आयोग ने कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: दिनांक 09-05-2011 को आयोजित आयोग की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

आयोग ने दिनांक 09-05-2011 को आयोजित 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची की मद संख्या 2: दिनांक 09-05-2011 को आयोजित आयोग की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई।

आयोग ने इस टिप्पणी के साथ की गई कार्रवाई को नोट किया और अनुमोदित किया कि ईएसडीडब्ल्यू को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त कर उसका विश्लेषण करना चाहिए तथा आयोग की बैठक में विचार-विमर्श के लिए उसे प्रस्तुत करना चाहिए।

कार्यसूची की मद संख्या 3: तमिलनाडु की राज्य समीक्षा।

यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम हम एसएसडब्ल्यू/ईएसडीडब्ल्यू/एपीसीआर/राज्य कार्यालय, चेन्नै द्वारा भरी गई प्रश्नावली का विश्लेषण करें और राज्य समीक्षा के लिए ऐसे बिन्दु तैयार करें जिन पर विचार-विमर्श किया जाना है। उसके बाद, राज्य समीक्षा के कार्यक्रम तय किए जाएंगे।

कार्यसूची की मद संख्या 4: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण ।

माननीय अध्यक्ष ने पूछा कि ऑनलाइन सीएमआईएस के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने में एनआईसी द्वारा कितना समय लिया जाएगा । संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि एनआईसी कार्मिक आयोग के विभिन्न स्कन्धों से अपेक्षित ब्योरा प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर की पूर्ति करने में उन्हें 4 सप्ताह का समय लगेगा । संयुक्त सचिव ने यह भी सूचित किया कि आयोग के मुख्यालय के लिए स्थान (2-3 मंजिलें) के आबंटन के संबंध में एनडीएमसी के साथ कार्यालय स्थान के आबंटन का मामला उठाया गया है ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 30-05-2011 को अपराह्न 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष के आफिस चेम्बर में आयोजित 15वीं बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. नाम एवं पदनाम

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

अधिकारी

1. श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव